न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी - श्री सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

अनवान -

तेज कौर पत्नी श्री बिल्लु सिंह निवासी 15 बी.एल.डी. (ए) तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)

.....प्रार्थीया.....

बनाम-

01- मेजर सिंह पुत्र श्री मल सिंह निवासी किकरचक तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।

02- वकील सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह निवासी कीकरचक तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।

03- गुरजन्ट सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह निवासी कीकरचक तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।

04- जस्सा सहि पुत्र श्री मेजर सिंह निवासी कीकरचक तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।

05- भाला सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह निवासी कीकरचक तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।

06- राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार (राजस्व) श्री विजयनगर।

.....अप्रार्थीगण.....

उपस्थिति- 01. श्री लाजपतराय, वकील प्रार्थीया
02. श्री शेराराम, वकील अप्रार्थीगण
03. पैराकार राज, जरिये तहसीलदार श्री विजयनगर

(वाद पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

राजस्व प्रकरण संख्या - 19/2024 **निर्णय दिनांक -06.09.2024**
(जी.सी.एम.एस.-2024/41)

::-निर्णय ::-

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 की पत्नी व 2 ता 5 की माता स्व. जसवीर कौर पुत्री मेहर सिंह जाति मजबी के नाम से वाके चक 15 बी.एल.डी.(बी) का खाता संख्या नया 20, पुराना 28 का मुरब्बा नं. 4 प.न. 236/423 का किला नं. 1/1, 10/2, 11/2, 16, 17, 18, 19/2, 20/1, 21/2, 22, 23, 24, 25 का 2.908 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड व मु.नं. 3 प.नं. 237/423 का किला नं. 5, 6, 15, 16,

लगातार .....(2)

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

(2)

25/2 का 1.240 हैक्टर कमाण्ड दोनों मुरब्बों में कुल 4.148 है. कमाण्ड/अनाकमाण्ड खातेदारी रकबा है जिसमें प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा एवं जसवीर कौर का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की पत्नी/माता का देहान्त दिनांक 20/2/2020 को हो चुका है, जिसके अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 ही विधिक वारिसान है। उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थीया एवं जसवीर कौर दोनों संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त किया करते थे। जसवीर कौर की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के साथ संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करने लगी परन्तु अब पिछले कुछ समय से अप्रार्थीगण का व्यवहार बदलने लगा और अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया केसाथ काश्त आदि करने, सिंचाई, राजस्व मामला आदि की अदायगी करने आदि कार्यों में सहयोग करने में आनाकानी करने लगे और आये दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद करने लगे। जिस पर प्रार्थीया को अप्रार्थीगण की नियत शक होने लगा जिस पर प्रार्थीया ने पता किया तो पता चला कि अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त वर्णित भूमि का बिना विधिक विभाजन करवाये चोरी छिपे अच्छे एवं सुधरे हुए किलाजात को विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा है एवं अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त भूमि की बिकवाली निकाल रखी है। प्रार्थीया को उक्त बात का पता चलने पर प्रार्थीया ने अपने साथ गांव के मौजिज व्यक्तियों को साथ लेकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के साथ एक पंचायत की जिसमें प्रार्थीया संख्या 1 ता 5 को कहा कि वह उक्त भूमि का विधिक विभाजन किला वाईज करवाने में प्रार्थीया का सहयोग करे एवं तहसील कार्यालय में प्रार्थीया के साथ उपस्थित होकर सहमति से भूमि का किला वाईज बंटवारा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि किस्म, रास्ता खाला आदि सुविधाओ को ध्यान में रखते हुए करवा लेवे तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया और अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने प्रार्थीया को यह धमकी दी कि शीघ्र ही प्रार्थीया को उनके हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि से जबरन बेदखल कर देगे अथवा उक्त भूमि का बिना विधिक विभाजन करवाये अच्छी व सुधरी हुई भूमि को किसी अन्य भू-माफिया को रहन, बैय, हस्तान्तरित, आदि कर प्रार्थीया को जबरन बेदखल कर देगे व भूमि को खुर्द-बुर्द कर देगे। बस यही बिनाय मुखास्मत एवं बिनाय दावा प्रार्थीया को अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्राप्त है। इसलिए प्रार्थीया को उक्त वाद पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थीया उक्त विवादित भूमि की दर्ज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया उक्त वर्णित भूमि का विधिक विभाजन अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि किस्म, खाला, रास्ता आदि सुविधाओ को ध्यान में रखते हुए विभाजन करवाने की विधिक अधिकारी है तथा राजस्व रिकार्ड में अंकन

लगातार .....(3)

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

करवाने की अधिकारी है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निशेधाज्ञा वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक इस आशय की पारित की जावे कि अप्रार्थीगण ताफैसला मूल वाद विवादित भूमि चक 15 बी.एल. डी.(बी) का खाता संख्या नया 20, पुराना 28 का मुरब्बा नं 4 पं. नं. 236/423 का किला नं. 1/1, 10/2,11/2, 16 17,18, 19/2, 20/1, 21/2, 22,23,24, 25 का 2.908 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड व मु.न.3 पं.न. 237/423 का किला नं. 5, 6, 15,16, 25/2 का 1.24. है कमाण्ड दोनों मुरब्बो में कुल 4.148 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी रकबा को अन्य किसी को रहन, बैय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने से स्वयं या अपने हित प्रतिनिधि के माध्यम से करने से लोन आदि लेने व प्रार्थीया की चल रही किसी सुविधा में व्यवधान पैदा करने से बाज एवं ममनू रहे एवं मौका तथा रिकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश पारित करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 03 द्वारा इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4, 5 द्वारा जरिये वकील उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 05 के नाम अभी तक विरास्तन इन्तकाल या नामान्तकरण दर्ज नही हुआ है। उक्त भूमि अभी तक जसवीर कौर के नाम दर्ज है। जब तक अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 05 के नाम भूमि का नामान्तरण दर्ज नही हो जाता है तब तक भूमि का बंटवारा किया वाईज किया जाना संभव असम्भव है। चक 15 बी.एल.डी.(बी) की भूमि प.नं. 236/423 मु.नं. 4 एवं प.नं. 237/423 मु.नं. 3 की 4. 1480 है. प्रार्थीया व जसवीर कौर के नाम 1/2 हिस्सा विरास्तन इन्तकाल है। जसवीर कौर का देहान्त हो चुका है जिसके अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 वारिस है। अभी तक भूमि का इन्तकाल विरास्तन अप्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं हुआ है ना ही अप्रार्थीगण का अभी तक कोई टाईटल है। जब भूमि अप्रार्थीगण के नाम नामान्तरण होगी तब ही भूमि का किला वाईज बंटवारा होना सम्भव है क्योकि प्रार्थीया का अप्रार्थीगण के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा है इसलिए जानबूझकर न्यायालय में तथ्य छुपाकर दावा पेश किया है। जो खारिज योग्य है। प्रार्थीया को कोई अनुतोष चाहिए था तो घोषणात्मक अनुतोष का दावा पेश करना था जो प्रार्थीया ने जानबूझकर दावा पेश नहीं किया है। चूंकि प्रार्थीया को मालूम है कि भूमि का अप्रार्थीगण के नाम विरास्तन इन्तकाल हो जायेगा तो वे अपनी भूमि की अच्छी तरह सार सम्भाल करेगे जिससे भूमि की कीमते बढ़ जायेगी। इसीलिए अप्रार्थीगण को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से प्रार्थीया ने जानबूझकर दावा पेश किया है। जो चलने योग्य नहीं है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में

लगातार .....(4)

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

अकिंत तथ्यों को दौहराते हुए विवादित रकबा पर निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। निष्कर्ष रूप में यह पाया कि विवादित भूमि वाके चक 15 बी.एल.डी.(बी) की भूमि प.नं. 236/423 मु.नं. 4 एवं प.नं. 237/423 मु.नं. 3 की 4. 1480 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 05 सहखातेदार के रूप मे दर्ज नही है। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं होते है ऐसी स्थिति में, मै प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट खारिज किये जाने योग्य पाता हूँ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06/09/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़

Scanned with CamScanner